राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(523) परि/नियम/मु./2017/ 9653 जयपुर,दिनांकः 09/05/18

कार्यालय आदेश .....16...../2018

ई–रिक्शा/ई–कार्ट चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रो के नियंत्रण एवं विनियमन के प्रावधान

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 8ए के अनुसार ई–रिक्शा/ई–कार्ट के चालकों को अनिवार्य रूप से ई–रिक्शा/ई–कार्ट निर्माता अथवा पंजीकृत ई–रिक्शा/ई–कार्ट एसोसिएशन द्वारा लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाकर प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है।

राज्य में अभी तक किसी निर्माता ने अथवा किसी पंजीकृत एसोसिएशन ने ऐसे ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित कर कार्य शुरू नहीं किया है। अतः कार्यालय आदेश 08/2018 दिनांक 13.03.2018 परिवहन विभाग द्वारा जारी कर सभी पंजीयन अधिकारियों को नियम 8ए में अपेक्षित ट्रेनिंग हेतु ऐसे केन्द्रो की स्थापना सुनिश्चित कराने हेतु सख्त हिदायत दी गयी कि बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ई–रिक्शा/ई–कार्ट के पंजीयन कार्य नहीं किये जावें। ऐसी ट्रेनिंग के अभाव में जयपुर में लगभग 8000 ई–रिक्शा/ई–कार्ट बिना पंजीयन/लाईसेंस संचालित होने की शिकायतें विभाग को मिल रही थी तो दूसरी ओर ऐसे वाहनों की वजह से जयपुर शहर के परकोटे के भीतर एवं अन्य मुख्य मार्गो पर असुरक्षित ई–रिक्शा/ई–कार्ट का संचालन बढता गया। इस कडी में ई–रिक्शा/ई–कार्ट चालकों की यूनियन की बैठक आयुक्त महोदय द्वारा आहूत कर इन प्रावधानों की पालना कराने हेतु प्रेरित किया गया। दिनांक 16.04.2018 को लगभग 45 ई–रिक्शा/ई–कार्ट निर्माताओं एवं जयपुर में कार्यरत ई–रिक्शा/ई–कार्ट डीलर्स की बैठक बुलाकर चालकों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया एवं सभी संबंधित को इस ट्रेनिंग के बाबत् स्थापित किये जाने वाले ट्रेनिंग सेन्टर्स के सफल स्थापन्य के लिये कार्य योजना प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया। इस प्रकार स्थापित किये जाने वाले ट्रेनिंग सेन्टर के लिये यह आवश्यक है कि इनके द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग प्रावधानों की पालना के अनुरूप निःशुल्क करायी जावे।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 8 ए में स्पष्ट है कि यह ट्रेनिंग कम से कम 10 दिवस की होगी। उक्त प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाना अनिवार्य होगा। (संलग्न प्रारूप 1) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर ट्रेनिंग कराने वाले ई–रिक्शा/ई–कार्ट एसोसिएशन/ उत्पादनकर्त्ता का दायित्व है कि ऐसे सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी किए जावे। जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र (प्रारूप 2) के अनुसार प्रिन्ट होगें।

ई–रिक्शा/ई–कार्ट निर्माता अथवा इनकी पंजीकृत एसोसिएशन जिनका प्रावधान केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 8ए में है, को आवेदन परिवहन मुख्यालय में करना होगा जिसमें प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराये स्थान, पंजीकृत, लीज/किरायानामा, ऑनरशिप एवं क्षेत्रफल का विवरण होगा। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र पर पाठ्यक्रम की अपेक्षा अनुसार रखे जाने वाले उपकरण, चार्ट, मॉडल, मरम्मत के कार्य हेतु प्रशिक्षण के ई –रिक्शा पार्टस् , बैट्री अनुरक्षण से संबंधित समस्त अपेक्षित यंत्र, टूल किट पंक्चर ठीक करने के उपकरण मोटर एवं कन्ट्रोलर, स्टार्टर आदि उपकरण तथा अन्य सभी पार्टस/मशीन जिनके बारे में पाठ्यक्रम में सिखाना आवश्यक हो।

मोटर यान अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों को सहज एवं सरल तरीके से समझाने हेतु अपेक्षित चार्ट, यातायात चिन्हो के ज्ञान हेतु चार्ट, ऑडियो/वीडियों प्रशिक्षण तथा सडक सुरक्षा के प्रशिक्षण हेतु विशेष रूप से शामिल होगें।

1. <u>ई–रिक्शा/ई–कार्ट के चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत अनुदेशक एवं चालन प्रशिक्षक की शैक्षणिकं व अन्य समान योग्यताएंः–</u>

(i) शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम दसवीं पास एवं हल्के एवं भारी यान चलाने हेतु वैध 3 वर्ष का लाईसेंस धारक।

(ii) प्रशिक्षक की आयु 65 वर्ष से अधिक नही होगी। प्रशिक्षक की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर नया प्रशिक्षक उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।

(iii)मोटर वाहन अधिनियम की शिड्यूल में वर्णित यातायात चिन्हों का ओर धारा 118 के अधीन बनाये गये रोड रेगूलेशन का पूर्ण व अ्द्यतन ज्ञान।

(iv)अंग्रेजी अथवा हिन्दी व क्षेत्रीय भाषा का पूर्ण ज्ञान।

<u>इसके अतिरिक्त ई–रिक्शा/ई–कार्ट के चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत अनुदेशक की अतिरिक्त योग्यताएंः–</u>

(v) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा या राजस्थान प्रावधायिक शिक्षा मण्डल जोधपुर द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक में प्रशिक्षण अथवा ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा की तकनीकी योग्यता अथवा इससे उच्चतर अर्हता।

(vi)ई–रिक्शा/ई–कार्ट के विभिन्न भागों कल–पुर्जों के, ट्रेक्सन मोटर, बैट्री की मरम्मत व उनकी कार्य प्रणाली को स्पष्ट करने की पर्याप्त योग्यता।

2. <u>लाईसेन्स जारी करने की प्रक्रिया :–</u>

(1) आवेदक द्वारा मोटर ई–रिक्शा/ई–कार्ट के चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु आवेदन मय सम्पूर्ण विवरण परिवहन मुख्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत कर आदेश से पूर्व निम्न बिन्दुओं मे वर्णित अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करनी होगीः–

(i) ई–रिक्शा/ई–कार्ट के चालको को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र जिसके द्वारा अंतरंग एवं बहिरंग प्रशिक्षण दिया गया है, को इस बाबत् शपथ पत्र एवं संबंधित केन्द्र के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने होगें कि परिसर इस ट्रेनिंग बाबत् स्वीकृत पाठ्यक्रम में अपेक्षित सभी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण एवं पर्याप्त है तथा कक्ष एवं ऑफिस, वर्कशॉप, क्लास रूम आदि की स्थापना की जा चुकी है।

(ii) ई–रिक्शा/ई–कार्ट के चालको का प्रशिक्षण केन्द्र संचालक, अंतरंग प्रशिक्षण के अनुदेशक एवं बहिरंग प्रशिक्षण के वाहन चालक का चरित्र उत्तम होना आवश्यक है इस बाबत् यथोचित संतुष्टि की जावेगी एवं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र अथवा संबंधित पुलिस थाने से प्राप्त चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होंगी। संचालक, अनुदेशक एवं चालक हेतु अपेक्षित शिक्षा संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) ई–रिक्शा/ई–कार्ट के चालको का प्रशिक्षण केन्द्र संचालक की वित्तीय स्थिति, केन्द्र के नियमित संचालन योग्य सुदृढ. होनी चाहिये, जिससे यह सुनिश्चिंत हो सके कि संचालक के वित्तीय स्त्रोत केन्द्र का अनुरक्षण बनाये रखने के लिए (sufficient to provide for its continued maintenance) पर्याप्त है।

(iv) संचालक संस्था या ई–रिक्शा/ई–कार्ट निर्माता में नाम का बैंक अकांउन्ट होना आवश्यक होगा। इस संबंध में उसके द्वारा बैंक की पासबुक की प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

3. <u>लाईसेन्स की शर्ते</u> :– :–

(1) प्रशिक्षण केन्द्र परिसर संचालक स्वयं का या किराये या लीज पर लिया गया हो तथा परिसर अगर किराये/लीज पर लिया गया हो तो किरायानामा/लीज की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी

(2) सभी प्रशिक्षण वाहनों की पार्किंग व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्र के परिसर के भीतर होगी अथवा संस्थान के परिसर के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर जो कि आवेदक की स्वंय की हो अथवा किराये/लीज पर ली गई हो।

(3) समस्त प्रशिक्षण वाहनों पर प्रशिक्षण केन्द्र का नाम, पूरा पता, टेलीफोन न. पेन्ट द्वारा सुपाठ्य अक्षरों में लिखा गया हो।

(4) सभी वाहन दोहरी नियन्त्रण प्रणाली से युक्त होंगे। इन वाहनों को वेध दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा।

(5) सक्षम अधिकारी को लिखित अनुमति के बगैर प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(6) प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रयुक्त जिस श्रेणी या श्रेणियों के वाहनों का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है उस श्रेणी/श्रेणियों के समस्त ऐसे वाहन (जो प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त किये जावेगें), संबंधित निर्माता/पंजीकृत एसोसिएशन स्वंय के नाम पंजीकृत होना आवश्यक है।

(7) ड्राईविंग प्रशिक्षण हेतु नियुक्ति किये गये अनुदेशक एवं बहिरंग प्रशिक्षण हेतु नियुक्त वाहन चालकों के नाम एवं पते प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किये जावेगें।

(8) प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा वार्षिक आधार पर प्रारूप 3 में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा एवं वर्षभर में प्रवेश दिये गये प्रशिक्षणार्थियों की सूची अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार संधारित की जायेगी।

(9) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के वास्तविक चालन घंटों का अभिलेख प्रारूप 4 में पृथक–पृथक संधारित किया जायेगा।

(10) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को विभाग द्वारा पाठ्यक्रम में वर्णित प्रारूप में दिया जावेगा।

(11) निम्न प्रोफार्मा अनुसार प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की सूचना हर माह की 30 तारीख तक परिवहन मुख्यालय में प्रेषित करनी होगी:–

क्र. सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	प्रशिक्षण की अवधि		जारी प्रमाण पत्र संख्या
		दिनांक से	दिनांक तक	

(12) सक्षम अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत परिवहन अधिकारी के चाहने पर उनके अवलोकन हेतु ट्रेनिंग सेन्टर से संबंधी समस्त रिकॉर्ड, रजिस्टर आदि अविलम्ब उपलब्ध कराने होगें।

(13) सक्षम अधिकारी एवं विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।

(14) सड़क सुरक्षा कार्यक्रम हेतु सदैव तत्पर रहना एवं इस हेतु समग्र रूप से योगदान करना विशेष रूप से अपेक्षित होगा।

(15) परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सड़क सुरक्षा संबंधी फिल्म/डॉक्यूमेन्ट्री व अन्य प्रोग्राम का प्रदर्शन प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी हेतु किया जाना अनिवार्य होगा।

(16) प्रत्येक ई–रिक्शा/ई–कार्ट का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण वर्ष में न्यूनतम एक बार, संबंधित जिला परिवहन अधिकारी जो उस क्षेत्र का प्रादेशिक परिवहन अधिकारी है जिस क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है, के द्वारा अवश्य किंया जावे।

(17) विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गई सड़क सुरक्षा, सड़क दुघर्टना एवं ड्राईविंग रेगूलेशन संबंधी डॉक्यूमेन्ट्री/लघु फिल्मों के प्रदर्शन से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित करने बाबत् व्यवस्था करनी होगी।

4. **निलंबित/निरस्त करने का प्रावधानः–**

अगर विभाग के निरीक्षण में प्रशिक्षण केन्द्र में कमी पायी जाती है। इसके द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है अथवा प्रशिक्षणार्थियों से किसी भी प्रकार का बिना प्रशिक्षण दिये प्रमाण पत्र जारी करना पाया जाता है अथवा प्रशिक्षण के एवज में किसी भी प्रकार की राशि अथवा शुल्क वसूलना पाया जाता है तो सुनवायी का अवसर देकर, अनुज्ञा को निरस्त की जा सकेगी। स्थापना से पूर्व प्रस्तावित परिसर, कागजात प्रस्तुत करने, मशीन, मॉडल चार्ट, उपयुक्त एवं पूर्ण हो। इस बाबत् जांच रिपोर्ट संबंधित जिला परिवहन अधिकारी/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से करानी आवश्यक होगी।

समस्त प्रकार से सही पाये जाने पर ही सेन्टर को अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। उक्त प्रक्रिया को अपना कर ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रो को परिवहन मुख्यालय, जयपुर से जांच में सही पाये जाने पर एवं समस्त शर्तो की पालना करने पर इजाजत दी जा सकेगी।

प्रत्येक वाहन हेतु एक वाहन चालक होना आवश्यक है। प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित ई–रिक्शा/ई–कार्ट दोहरी नियंत्रण प्रणाली से युक्त होगें। उनको अन्य कार्य में काम नहीं लिया जा सकेगा, उक्त वाहन के लिये वैध दस्तावेज रखना आवश्यक होगें।

ई–रिक्शा/ई–कार्ट हेतु स्थापित किये गये ड्राईवर प्रशिक्षण केन्द्रो के प्रशिक्षण केन्द्रो की गुणवत्ता को लेकर समय पर आने वाली कठिनाईयों के निवारण के संबंध में समय समय पर परिवहन आयुक्त एवं अतिरक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश योजना के ही भाग होगें।

(आर.सी.यादव)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक : प 7(523) परि/नियम/मु./2014/पार्ट–I /9654-59 जयपुर, दिनांक 09/05/18

प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाइट अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

TRANSPORT DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Syllabus for imparting instructions in driving of E-Rickshaw/E-Cart

As per the GSR 27(E) dated 13-01-2015 (Rule 8 A of CMVR, 1989) each trainee is required to undergo at least 10 days training for driving E-rickshaw. The actual driving hours for trainees in driving E-rickshaw shall not be less than five hours in pursuance of the above, the following subject matter shall be covered during such training.:-

A. Driving Theory	
1. Know your vehicle	• Simple introduction to traction battery, traction motor power controller and their working.
2. Vehicle control (i) Foot Controls (ii) Hand controls (iii) other controls	• Foot brake, • Handle Bar, Hand Brake, parking brake Horn, Light, ignition switch, starter, dipper and indicators. • Rear-view mirror(right and left side) • Side indicators
3. Pre- driving Check	• Before sitting on driver's seat and After sitting on driver's seat.
4. Beginning to drive	• Precautions just before moving, • While moving, Stopping and Braking, • Accelerator (gradual/sudden) • Traffic sense, road sense, judgment, • Parking and positioning according to road users, • Reversing
5. Driving on the road	• Anticipation, judgment and road positioning according to other road users.
6. Driving at inter-sections	• Mirror Signal and Maneuvers (MSM) and Position Speed and Look (PSL). Zone of vision.
7. Maneuvers	• Merging and diverging maneuvers-turning maneuvers to left, right, and U-turn, overtaking stationary vehicle, moving vehicle in left side and right side.
8. Reversing	• Locating reverse gear in sitting position, speed control.
9. Parking	• Parallel, angular, perpendicular parking facing uphill, parking facing downhill, common errors.

10. Driver's responsibility on the road	• Driving behavior, consideration for other road- users, courtesy and competitiveness, over-confidence, impatience and defensive driving. • Distance between cars while driving at Railway Crossing.
11. Qualities of a good driver	• Patience, responsibility, self-confidence, anticipation concentration, courtesy, defensive driving, knowledge of road rules/regulations. Knowledge of vehicle controls, maintenance and simple mechanism
12. Priority for certain vehicles	• Emergency vehicles, Fire engines and Ambulance.
13. Defensive driving techniques	• Judgment • Anticipation • Escape route
14. Night Driving	• Location of head light switch • Procedure • Obligation to light the lamps, • Restriction on lighting the lamps
15. Emergency maneuvers	• Prevention is better than cure in case of skidding, horn stuck • Fire, wheels coming out • Brake failure • Burst of front tyre • sudden obstruction in front of the vehicle • Brake failure during down the slope.
16. Driving under special conditions	• In wet weather • In drawn, dusk and misty roads • In dense traffic.

B. Traffic Education	
1. Driving regulations	• Road use regulations made under section 118 of the Motor Vehicle Act, 1988. Knowledge of Road Regulations notified by ministry of Road Transport and Highways. (Notification G.S.R 634(E) dated 23-06-2017 regarding rules of Road Regulations)
2. Hand Signals	• Stop, right turn, overtaking & slow down.
3. Traffic- signals	Schedule of Motor Vehicle Act, 1988

4. Hand signals of Traffic Constables/Traffic warden	
5. Introduction to automatic light signals	• Understanding the order of yellow, green & red light and what these lights convey. • Blinking of yellow light. • Blinking of red light.
6. Introduction to road marking	• white line: continuous and broken • yellow line • lane marking • zebra- crossing • Stop-line • Parking markings • Sense of road singles
7. Speed regulations on city roads	• on congested road • At traffic junctions(manned & unmanned)
8. Parking at objectionable places	Don't park vehicle • At or near a road crossing, a bend , top of a hill or a humpbacked bridge; • on a foot-path • near a traffic light or pedestrian crossing; • in a main road or one carrying fast traffic; • opposite another parked vehicle or as obstruction to other vehicle; • alongside another parked vehicle; • on roads or at places or road where there is a continuous white line with or without a broken line; • Near a bus stop, school or hospital entrance or blocking a traffic sign or entrance to a premises or a fire hydrant. • on the wrong side of the road; • where parking is prohibited; • away from the edge of the footpath.
9. Some important provisions of the Motor Vehicles Act, 1988	• Sections 112, 113, 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 134, 185, 186, 194 and 207 of the Motor Vehicle Act, 1988.
10. Know about vehicle registration Plate.	• State code, Authority code and number
11. Test of competence to driver E-rickshaw	• Sub- rule(3) of rule 15 of central Motor Vehicles Rules, 1989

12. Traffic island	• Types of roundabouts • Channelizes , median
13. Road Junctions	• Principles and types • T Junctions • Y junctions • Controlled junctions • Uncontrolled junction
14. Lane Selection and lane discipline	• Drive in a proper lane and change only after giving proper signal
15. Accidents	• Types of accidents • causes of accidents • Preventive methods • Driver's duties and responsibilities on the occurrence of accidents.
16. Important provisions in Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), Central Motor Vehicle Rules, 1989 and the State Motor Vehicle Rules.	• Certain definitions • Driving license and its renewal • Certificates/documents to be carried in a vehicle and production of such document on demand by checking officer • Traffic offences and penalties stipulated under the Act and Rules.

C. Vehicle mechanism and Repairs	
1. Layout of vehicle	• Brakes, parking brakes, location of traction battery, traction motor, power controller and charger
2. Suspension system	• Purpose • Springs • Leaf spring, shackle and shackle Pin • Shock absorber and its bushes
3. Brakes System	• Purpose • Brake maintenance and adjustment
4. Electrical system	• Traction Battery and its condition, electrolyte level, charging of battery • Proper locking of battery terminals and cleaning thereof • Head lights, rear lights, brake lights, reverse lights, indicators, horn • Lights –knowledge to read the charging rate in the Ampere meter
5. Tyres	• Maintenance • Effects of under inflation /over inflation • Effect of defective tyres.

6. Instruments cluster, dash board meters	• Their purposes and functions.
7. Maintenance and cleaning of vehicle	• Greasing and oiling as per recommendation of manufacturer • Seats • Body paint, protection of sharp corners/edges. • Proper looming and insulation of electric wires.

D. Public relations for drivers, gender sensitization. Knowledge of guideline for Good Samaritan in case of road accidents.
Some basic aspect about ethical and courteous behavior with other road users. Assist the senior citizen and differently able persons. Due respect the women, not to pass lewd remarks and unexpected gesture. Knowledge of guideline for Good Samaritan in case of road accidents.

E. Fire-Hazards
Fire- Fighting and prevention methods on vehicle
F.Vehicle – maintenance
1- Factors affecting the vehicle parts due to bad and negligent driving.
2- General day to day maintenance and periodical inspection
3- Battery maintenance
4- Brake maintenance.
5- Observation of dash- board meters.
6- Greasing and lubrication
7- Maintenance of lights, indicators

G. First- Aid	
1- Introduction to first- aid	
2- Outline of first- aid	
3- Structure and functions of the body.	
4- Dressing and bandages..	
5- Respiration	
6- Injuries to bones	
7- Burning scales	
8- Unconsciousness (insensibility)	
H. Know important telephone no.	
1- Police control room	100
2- (a)Women helpline	1091
(b) Nirbhaya Sambhali Helpline	1800 1200020
3- Ambulance helpline	108
4- Fire Control room	101

Performa-2

Name of the Association/Institute……………………………

CERTIFICATE OF TRAINING IN DRIVING OF E-RICKSHAW/E-CART

(See rule 8A of CMVR,1989)

Certificate No. Date:

This is to certify that Shri/Smt./Kumari……………………………………son /wife /daughter of Shri ……………………………residing at…………………was enrolled in this Association / institute on name and………………..and his/her name is registered at serial number …………in our register and that he/she has undergone the course of training in driving of E- rickshaw/E-cart(Strike out which is not applicable) according to the syllabus prescribed for a period from………….To…………………satisfactorily.

I am satisfied with his/her physical fitness and sense of responsibility.

Signature……………

Name……………

Desigantion………………

Details of registered of E- rickshaw association/ manufacture

Name…………

Address……………

Registration No……………………Date………………

The enrollment of trainee (s) and the driving hours spent by a trainees are to be maintained by the associations /manufacturer of E- rickshaws in Performa 3 and 4.

REGISTER SHOWING THE ENROLMENT OF TRAINEE(S) IN THE TRAINING CENTER ESTABLISH FOR E-RICKSHAW/E-CART

Register for the year.................................

1. Enrolment number ....
2. Name of the trainee with his photograh ....
3. Son/Wife/daughter of ....
4. Address:

(a) Permanent address ....

(b) Temporary address/Official address (if any) ....

5. Date of Birth ....
6. Reg. No. of E-cart/Rickshaw vehicle for which training impart ....
7. Date of enrolment ....
8. Learner's licence number and date of its expiry ....
9. Date of completion of the course ....
10. Date of passing the test of competence to drive ....
11. Remarks ....
13. Signature of the Driver and Instructor ....

PERFORMA-4

REGISTER SHOWING THE DRIVING HOURS SPENT BY A TRAINEE

Name of the establishment provide training to "E" Drivers ……………………………….

Name of the trainee ……………………………….

Enrolment number ……………………………….

Date of enrolment ……………………………….

Date	Hours spent in actual driving From……………..hrs. To…………hrs.	Reg. No. vehicle	Signature of the instructor	Signature or thumb impression of the trainee
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1				
2				
3				
4				
5				